कार्यालय केन्द्रीय नजारत अनुभाग जनपद न्यायालय बागपत।

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 की शेष अवधि के लिये जनपद न्यायालय बागपत के बाहर प्रस्तावित स्थल पर 09 अस्थायी दुकानों हेतु स्थान की नीलामी अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 16.09.2024 को अपराह्न 04:00 बजे जनपद न्यायालय बागपत के सभागार कक्ष में होना नियत है।

इच्छुक व्यक्ति 09 अस्थायी दुकानों हेतु स्थान की नीलामी में भाग लेने हेतु दिनांक 14.09.2024 से पूर्व केन्द्रीय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय बागपत में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

उक्त से सम्बन्धित सभी जानकारी जनपद न्यायालय बागपत की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/baghpat एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.allahabadhighcourt.in पर देखी जा सकती है।

दिनांकः-02.09.2024

02/09/24

(पवन कुमार राय)
अध्यक्ष,
ठेका नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय संख्या-01 बागपत।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

01. जिला सूचना अधिकारी बागपत को जी0ओ0 संख्या-562/उन्नीस-2-2007-1007(टी0सी0) दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में नीलामी की विज्ञप्ति निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने एवं सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।
02. कार्यालय जिलाधिकारी महोदय बागपत।
03. कार्यालय तहसील सदर बागपत, खेकड़ा तथा बड़ौत।
04. कार्यालय नगर पालिका परिषद बागपत एवं जिला अस्पताल बागपत एवं अन्य सूचना पट पर चस्पा हेतु।
05. नोडल अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को माननीय उच्च न्यायालय एवं जिला बागपत की वैधानिक वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।

02/09/24

(पवन कुमार राय)
अध्यक्ष,
ठेका नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय संख्या-01 बागपत।

अस्थायी दुकान हेतु नीलामी समिति का कार्यवृत, जनपद न्यायालय बागपत।

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या 2786/एडमिन. (बी.-I) सेक्शन दिनांकित 24.08.2024 पर पारित माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 27.08.2024 के अनुपालन में आज दिनांक 31.08.2024 को जनपद न्यायालय बागपत परिसर के बाहर वित्तीय वर्ष 2024-2025 की शेष अवधि के लिये प्रस्तावित स्थल पर अस्थायी शेष 09 अस्थायी दुकानों के स्थान आवटंन हेतु अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में समिति की बैठक समय 01:30 बजे विश्राम कक्ष में सम्पन्न की गयी।

बैठक में नीलाम समिति के सदस्य श्री राहुल कुमार सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागपत एवं श्री रजनीश कुमार-द्वितीय, सिविल जज जूनियर डिवीजन/त्वरित बागपत उपस्थित आयें। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त पत्रांक में जनपद न्यायालय बागपत परिसर के बाहर प्रस्तावित स्थल पर 09 अस्थायी दुकानों हेतु स्थान आवटंन के लिये खुली बोली लगाये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपेक्ष्य में नीलाम समिति की राय में 09 अस्थायी दुकानों हेतु स्थान आवंटन की नीलामी खुली बोली के द्वारा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय की स्वीकृति के उपरान्त दिनांक 16.09.2024 को करायी जा सकती है।

अस्थायी दुकानों हेतु स्थान आवटंन के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय बागपत से फार्म प्राप्त किये जा सकेंगे। किसी भी व्यक्ति/फर्म द्वारा केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय बागपत से उक्त नीलामी के संबंध में जानकारी की जा सकती है।

09 अस्थायी दुकानों का स्थान विवरण

क्र.सं.	दुकान का विवरण	भूमि का विवरण
01	गेट संख्या-03 के उत्तर में 02 अस्थायी दुकान नं0 क्रमशः D, M	प्रत्येक दुकान का क्षेत्रफल 20X15 फिट
02	गेट संख्या-02 के दक्षिण में 07 अस्थायी दुकान नं0 क्रमशः A, B, F, G, H, I, J	प्रत्येक दुकान का क्षेत्रफल 20X15 फिट

नीलामी की शर्ते निम्रवत हैः-

1. प्रत्येक अस्थायी दुकान हेतु स्थान का आवंटन आवंटित होने की दिनांक से 31.03.2025 तक के लिये होगा।
2. जिस व्यक्ति/फर्म के ओर अस्थायी दुकान हेतु स्थान आवंटन के किराये से सम्बन्धित धनराशि बकाया है उसको या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी प्रकार वह व्यक्ति ठेका प्राप्त कर भी लेता है तो इसकी जानकारी होने पर आवटंन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उक्त आवटंन की पुनः बोली करायी जा सकेगी।
3. न्यायालय में कार्यरत कर्मचारी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
4. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म को पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।
5. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिये प्रत्येक अस्थाई दुकान हेतु स्थान आवंटन की बोली अलग – अलग व्यक्ति/फर्म द्वारा प्रस्तुत की जायेगी।
6. किसी व्यक्ति/फर्म के पक्ष में एक अस्थाई दुकान हेतु स्थान आवंटित होने पर किसी भी दशा में दूसरी अस्थाई दुकान हेतु स्थान का आवंटन नही किया जायेगा।
7. **वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिये शेष अवधि हेतु प्रत्येक अस्थायी दुकान के स्थान आवंटन की न्यूनतम बोली मूल्य 28800/- रूपये वार्षिक के समानुपातिक मुल्य 15600/- रूपये से आरम्भ की जायेगी।**

8. जिस व्यक्ति/फर्म के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत होगी वह व्यक्ति/फर्म अपनी दुकान स्वयं चलायेगा। अपने किसी रिश्तेदार, सगे सम्बन्धी या अन्य को किसी को हस्तान्तरित नहीं करेगा। उपरोक्त बातों की जानकारी किसी प्रकार से होने पर आवटंन निरस्त कर जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी और पुनः नीलामी करा दी जायेगी।
9. नीलामी में अधिकतम बोली प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/फर्म के पक्ष में नीलामी स्वीकृत होगी।
10. नीलामी की बोली स्वीकृत होने के उपरान्त व्यक्ति/फर्म को बोली की धनराशि का 25% तत्काल जमा करना होगा तथा शेष धनराशि को तीन किस्तों में नवम्बर-2024, जनवरी-2024 व मार्च-2024 के प्रथम सप्ताह में जमा करनी होगी। धनराशि जमा न करने की स्थिति में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह नियमानुसार कार्यवाही कर आवटंन को निरस्त कर सकते है।
11. अस्थायी दुकान हेतु स्थान के आवंटी व्यक्ति/फर्म को अपने आवंटित अस्थायी दुकान के स्थान के आस-पास की साफ-सफाई स्वयं करनी होगी।
12. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय स्वयं या प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा भौतिक स्थलीय निरीक्षण कर सकते है। अस्थाई दुकानो के आसपास सफाई न पाये जाने पर अस्थाई दुकान का आवंटन निरस्त किया जा सकता है।
13. प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को अपने फॉर्म के साथ आधार कार्ड दाखिल करना होगा।
14. प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह आवंटित स्थल पर कोई स्थायी निर्माण नहीं करेगा न ही आवंटित स्थल का प्रयोग किसी गैर-कानूनी कार्य के लिये करेगा।
15. प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को उक्त सभी शर्तों का पालन करने के सम्बन्ध में अंकन 100/- रूपये के स्टॉम्प पर एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उलंघन करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश बागपत महोदय को यह अधिकार होगा की शासकीय धनराशि के नुकसान को दृष्टिगत रखते हुये वसूली उससे या उसकी सम्पत्ति से करा दें तथा किसी भी समय आवंटन निरस्त कर दें।

उपरोक्त नीलामी की शर्तें माननीय जनपद न्यायाधीश के अनुमोदनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

31/08/24	Rahul Kumar Singh 31.08.24	31/08/24
रजनीश कुमार-द्वितीय	**राहुल कुमार सिंह**	**पवन कुमार राय**
सदस्य ठेका नीलामी समिति/	सदस्य ठेका नीलामी समिति/	अध्यक्ष ठेका नीलामी समिति/
सिविल जज जू0 डिवीजन/त्वरित,	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बागपत।	बागपत।	न्यायालय संख्या-01 बागपत।

Approved
02/9/2024
District Judge
Baghpat